भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1789
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 नवंबर, 2016/4 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)
<u>मध्यस्थता को सुदृढ़ किया जाना</u>

1789. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की योजना देश में निवेशकों और व्यापारों के लिए मध्यस्थता को सरल बनाने हेतु मध्यस्थता और प्रवर्तन के सृजन और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कानूनी तंत्र व्यवस्था स्थापित करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने छोटे निवेशकों सहित सभी हितधारकों से संपर्क किया है ताकि उनके सुझावों का मूल्यांकन किया जा सके; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुझाव मिले है और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): भारतीय विधि आयोग ने अपनी 246वीं रिपोर्ट एवं अनुपूरक रिपोर्ट में मध्यस्थता और समाधान अधिनियम, 1996 में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की थी। विधि आयोग की सिफारिशों एवं प्राप्त अन्य सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार ने मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 में संशोधन किया है।

*****